संख्या: 443/2016/1510 /पैंतीस-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 30 दिसम्बर, 2016**

विषय- **सपोर्ट फार स्टेटिस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग (एसएसएस) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 593/एसएसएस-40/2015, दिनांक 24.11.2016 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि भारत सरकार की सपोर्ट फार स्टेटिस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग (एसएसएस) योजना के आपरेशनल गाईडलाइन्स के पैरा-3.3.12 के अनुसार वित्त विभाग द्वारा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21.03.2012, शासनादेश संख्या: 10/2015-ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 29.05.2015, शासनादेश संख्या: 14/2015-ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 23.09.2015 व शासनादेश संख्या: 3/2016-ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010, दिनांक 23.02.2016 द्वारा जारी निर्देशों के अधीन एसएसएस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया में निदेशक अर्थ एवं संख्या के पदनाम से बचत खाता खोले जाने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) प्रश्नगत बैंक खाता निदेशक, अर्थ एवं संख्या के पदनाम से खोला जायेगा एवं अर्थ एवं संख्या प्रभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संचालित किया जायेगा। यह बचत खाता होगा।
(2) इसे योजना अवधि तक चालू रखा जायेगा तथा योजना समाप्त होने पर खाता नियमानुसार बन्द कर दिया जायेगा।
(3) खाते के संचालन एवं रख-रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 के अशासकीय पत्र संख्या: यू0ओ0-ई-5-1267/दस-2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 443/2016/1510 (1)/पैतीस-4-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ।
3. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।